

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 29.4.19

संख्या-12/प0(क0)-701/12-सा0प्र0-5618/श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि0प्र0से0, को0 क्र0-1312/11, गृह जिला-उ0प्र0 को सचिव (अपने वेतनमान में), बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पद से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, डिहरी, रोहतास के पद पदस्थापित किया जाता है।

2. स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति प्राप्त है।

3. स्थानान्तरित पदाधिकारी पारगमन काल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित पद पर अविलंब योगदान/प्रभार ग्रहण कर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0(क0)-701/12-सा0प्र0-5618/पटना-15, दिनांक- 29.4.19

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव